


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-05-07/2023 328 /पटना, दिनांक 23.6.25

विभाग अन्तर्गत कोर्ट केस से संबंधित सभी प्रशाखों की संचिकाओं में तथ्य विवरणी पर अपर मुख्य सचिव/सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के क्रम में तथ्य विवरणी की जाँच/परीक्षण के लिए संचिकायें तकनीकी परामर्शी (विधि) के माध्यम से श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को उपस्थापित की जायेगी।


2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


23/06/25
(उमंग)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1/ अ0प्र0-05-07/2023 6518 /पटना, दिनांक 23.6.25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सह-सचिव, ब्राडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अवर सचिव/सभी नोडल पदाधिकारी/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/06/25

सरकार के अवर सचिव

